लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
083/2022 (GCMS 2022/404)	07.11.2022	23.11.2022

अनवान

गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, सेक्टर नंबर 01, गांधीनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मो.नं.9460057352)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 06.10.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./083/2022(सू.अ.)(23.11.2022)/860 दिनांक 09.11.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को दिनांक 23.11.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 23.11.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने नियत दिनांक को उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखते हुए निवेदन किया कि उसे आवेदन दिनांक 06.10.2022 से वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं, अतः वांछित सूचना एवं संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपियां निःशुल्क दिलवाने का आदेश प्रदान करावे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/859 दिनांक 23.11.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, सेक्टर नंबर 1, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/377 दिनांक 07.10.2022 तथा समसंख्यक पत्रांक से पुनः दिनांक 10.11.2022 को स्मरण पत्र लिखा गया, परंतु वांछित सूचना आदिनांक अप्राप्त हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से यथाशीघ्र प्राप्त कर प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध करवा दी जाएगी।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का निरस्त कराने का श्रम करावें।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा आदिनांक तक कमेण्ट्स अप्राप्त। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/859 दिनांक 23.11.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेंन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/377 दिनांक 07.10.2022 तथा समसंख्यक पत्रांक से दिनांक 10.11.2022 से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध कराते हुए पालना रिपोर्ट से अवगत करवाने हेतु लिखा गया हैं। परन्तु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा आदिनांक तक प्रार्थी के आवेदन से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो सर्वथा अनुचित प्रतीत होता हैं। इसके साथ ही तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा आदिनांक तक कमेण्ट्स प्रेषित नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनके स्तर पर प्रार्थी के आवेदन के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई हैं, उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 23.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)